

आदेश

स्थानान्तरण समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 05.06.2025 व अधिकरण अधिष्ठान के अंतर्गत पीठों में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त एवं वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025-26 के दृष्टिगत राजकीय कार्य सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु तथा कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप जनहित में निम्नलिखित स्थानान्तरण अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री आशीष दुबे वैय० सहा०	पीठ-1, आगरा सम्बन्ध मुख्यालय	मुख्यालय	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत
2	श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय प्र० सहा०	पीठ-6 वाराणसी सम्बद्ध पीठ- गोरखपुर	पीठ-1 कानपुर	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण प्रभावी दिनांक 01.09.2025 से
3	श्री अरविन्द कुमार कौशल प्र० सहा०	पीठ-1 कानपुर सम्बद्ध पीठ-झाँसी	पीठ- झाँसी	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण प्रभावी दिनांक 01.09.2025 से
4	श्री शिवलोचन सिंह व० सहा०	पीठ-1 प्रयागराज	पीठ-4 कानपुर	कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत
5	श्री प्रखर गुप्ता व० सहा०	पीठ-4 कानपुर सम्बद्ध पीठ-3 कानपुर	पीठ- मुजफ्फरनगर	कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत
6	श्रीमती श्वेताराज व० सहा०	पीठ-6 वाराणसी सम्बद्ध पीठ-1 प्रयागराज	पीठ-1 प्रयागराज	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण/ दाम्पत्य नीति के अंतर्गत स्वयं के अनुरोध पर
7	श्री आकाश मिश्रा क० सहा०	पीठ- मुजफ्फरनगर	पीठ-3 कानपुर	स्वयं के अनुरोध पर

1. क्रम संख्या 1,2,4 व 5 पर अंकित कर्मचारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता व कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।
2. क्रम संख्या 3,6 व 7 पर अंकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण मात्र कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह० 05.06.2025

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।
- 2 सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 आगरा/ पीठ-6 वाराणसी/ पीठ-1 कानपुर/ पीठ-1 प्रयागराज/ पीठ-4 कानपुर/ पीठ- मुजफ्फरनगर/ पीठ- झाँसी/ पीठ- गोरखपुर एवं मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कर्मचारियों को अविलम्ब कार्यभार मुक्त करते हुए सूचना मुख्यालय प्रेषित करें ।
- 3 आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय/ पीठ-1 आगरा/ पीठ-1 वाराणसी/ पीठ- कानपुर/ पीठ-1 प्रयागराज/ पीठ- मुजफ्फरनगर एवं पीठ-झाँसी ।
- 4 कोषाधिकारी- आगरा/ वाराणसी/ कानपुर/ प्रयागराज/ मुजफ्फरनगर / झाँसी/ जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5 वरिष्ठ सहायक लेखा- पीठ-1 आगरा/ पीठ-1 वाराणसी/ पीठ- कानपुर/ पीठ-1 प्रयागराज/ पीठ- मुजफ्फरनगर एवं पीठ-झाँसी/ मुख्यालय ।
- 6 सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025-26 दिनांक 06.05.2025 के बिन्दु संख्या 11 के पैरा 8 में अंकित निर्देशों के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर कार्यमुक्ति एवं कार्य प्रभार आदि मानव सम्पदा पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जाएगा । उपर्युक्त प्रक्रिया पालन करने पर ही सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरण हो सकेगा ।
- 7 वेब अधिकारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित आदेश विभागीय वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- 8 सम्बन्धित व्यक्ति एवं व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

आज्ञा से



05.06.2025

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।